अतः अब उक्त अधिनियम की धार 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतदद्वारा उक्त अधिनियम के प्रवधानों के तहत उल्लिखित स्थापनाओं को प्रत्येक स्थापना के सामने दर्शाए तिथि से लागू करते हैं।

एम नारायणप्पा
अपर कें. भ. नि. आयुक्त
कर्नाटक व गोवा क्षेत्र, बेंगलूर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

मसाला बोर्ड

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2015

आदेश

सं. प्रशा-1/स्था/एस पी ई डी ए/2014---मसाला बोर्ड, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अभिकरणों के सहयोग से अवसंरचना, क्वालिटी उन्नयन तथा अनुसंधान के उपबंध हेतु आशयित कार्यकलापों सहित जम्मू-कश्मीर राज्य से गुणवत्तायुक्त केसर के विकास और निर्यात संवर्धन के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा उन्हें सहायता देने हेतु अधिदेश सहित एक समिति के गठन का प्रस्ताव करता है;

अतः, अब, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 11 और नियम 13 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा मसाला बोर्ड इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण नामक समिति का गठन करता है।

1. गठन -(1) केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

(क)	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य सचिव, जम्मू-कश्मीर सरकार अथवा उनके नामनिर्देशिती	सदस्य
(ग)	कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
(घ)	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
(ङ.)	अध्यक्ष, मसाला बोर्ड भारत	सदस्य
(च)	निदेशक, एम आई डी एच, जम्मू-कश्मीर सरकार	सदस्य
(छ)	प्रतिनिधि, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	सदस्य
(ज)	प्रतिनिधि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर)	सदस्य
(झ)	प्रतिनिधि, शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	सदस्य
(ञ)	संयुक्त महा निदेशक, विदेश व्यापार	सदस्य
(ट)	केसर के तीन प्रगतिशील कृषक (जम्मू-कश्मीर सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाना है)	सदस्य
(ठ)	केसर के दो निर्यातक	सदस्य
(ड)	केसर के दो व्यापारी (जम्मू-कश्मीर सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाना है)	सदस्य

(2) केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण की सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। उनकी अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता मुख्य सचिव, जम्मू-कश्मीर अथवा उक्त समिति के अगले ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा की जाएगी।

2. सचिवालय -(1) केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण की अध्यक्षता एक सचिव द्वारा की जाएगी जिसकी नियुक्ति मसाला बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी और मसाला बोर्ड के अवधारण के अनुसार कर्मचारीवृंद की नियुक्ति की जाएगी।

(2) उप-पैरा (1) में उल्लिखित अभिकरण का मुख्यालय जम्मू-कश्मीर राज्य के श्रीनगर में होगा।

3. कार्य -(1) केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात :--

(1) केसर की खपत को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को बढ़ावा;

(2) केसर के उत्पादन, विकास, संवर्धन, विपणन तथा निर्यात से संबंधित कार्यक्रमों, कार्यकलापों तथा परियोजनाओं का समन्वयन;

(3) खेती के बेहतर ढंग, पुनर्रोपण तथा केसर की खेती के अधीन आने वाले क्षेत्र के विस्तार और उसके प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग के लिए सहायता प्रदान करना ;

(4) केसर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम एवं परियोजनाएं चलाना;

(5) प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा भंडारण के लिए समुचित अवसंरचना के सृजन हेतु सहायता प्रदान करना तथा उसे बढ़ावा देना ;

(6) केसर के प्रसंस्करण, गुणवत्ता, श्रेणीकरण तथा पैकेजिंग की तकनीकों में सुधार हेतु अध्ययनों और अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करना तथा उसे बढ़ावा देना ;

(7) केसर के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना करना ;

(8) निर्यात हेतु केसर की गुणवत्ता के मूल्यांकन और नियंत्रण से संबंधित कार्यकलाप करना;

(9) केसर के निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्ता मानक तैयार करना और गुणवत्ता प्रमाणन आरंभ करना ;

(10) केसर के निर्यात-संवर्धन हेतु नए बाज़ारों की पहचान करना;

(11) केसर उद्योग के सभी हितबद्ध पक्षकारों के बीच बाज़ार तथा केसर की कीमत से संबन्धित सूचनाओं का प्रसार करना;

(12) केसर उपजकर्ताओं में सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना;

(13) केसर की वैज्ञानिक खेती, गुणवत्ता परीक्षण, केसर हेतु श्रेणीकरण नियतन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना;

(14) केसर उद्योग से संबन्धित किसी भी मामले पर उपजकर्ताओं, ब्योहारियों तथा ऐसी अन्य अभिकरणों, जिन्हें ऐसे विनिर्दिष्ट किया गया हो, से आंकड़े एकत्रित करना;

(15) केसर के उत्पादन, विपणन, गुणवत्ता तथा निर्यात संबंधी मामलों पर केंद्रीय सरकार, जम्मू-कश्मीर सरकार एवं मसाला बोर्ड को परामर्श देना।

(16) गुणवत्तायुक्त केसर के विकास एवं निर्यात संवर्धन संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और उपर्युक्त कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य कार्यकलाप करना।

(2) उप-पैरा (1) में उल्लिखित अभिकरण की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होगी और एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें अवश्य होंगी।

(4) शक्तियाँ - (1) अपने कार्यकलापों को चलाने के लिए केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी-

(1) अपने पदाधिकारियों हेतु कर्तव्यों का निर्धारण तथा उन पर यथावश्यक पर्यवेक्षण एवं अनुशासनात्मक नियंत्रण, जैसे विहित हो,

(2) मसाला बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के अनुसार कार्यक्रमों, कार्यकलापों एवं सेवाओं के आयोजन तथा इनके प्रभावी निष्पादन के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु व्यय की अनुमति देना;

(3) सौंपे गए कार्यों के अनुसार उन मामलों अथवा कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेना ।

(2) जिन मामलों में निर्णय के लिए केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण के विशेष अनुमोदन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, उनमें सचिव, मसाला बोर्ड के अध्यक्ष के परामर्श से केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु निर्णय ले सकते हैं और की गई कार्रवाई को केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण की अगली बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

5. वित्त - (1) केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपने कार्यकलापों की एक वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करेगा और उसे मसाला बोर्ड से अनुमोदित करवाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार, मसाला बोर्ड के माध्यम से उतनी राशि प्रदान करेगी, जो आवश्यक समझे।

6. नियंत्रण और पर्यवेक्षण - सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण केंद्रीय सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का अधीनस्थ अभिकरण होगा और मसाला बोर्ड के समग्र प्राधिकार, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में कार्य करेगा ।

डॉ. ए. जयतिलक
अध्यक्ष
मसाला बोर्ड

3-29 GI/2015

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of the Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

M NARAYANAPPA
ADDITIONAL CENTRAL PF COMMISSIONER-I (KN&GOA)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(SPICES BOARD)

ORDER

New Delhi, the 17th March 2015

Admin-I/Estt/SPEDA/2014.—WHEREAS, the Spices Board proposes to constitute a committee with a mandate to plan and support specific programmes for development and promotion of exports of quality saffron from the State of Jammu and Kashmir, including activities aimed at provision of infrastructure, quality upgradation and research in coordination with private and public sector agencies;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 5 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 11 and 13 of the Spices Board Rules, 1987, the Spices Board hereby constitutes a committee to be known as the Saffron Production and Export Development Agency with effect from the date of publication of this Order.

1. Constitution.- (1) The Saffron Production and Export Development Agency shall consist of—

(a)	Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry	Chairperson
(b)	Chief Secretary to Government of Jammu and Kashmir or his nominee	Member
(c)	Representative from the Ministry of Agriculture, Government of India	Member
(d)	Representative from Ministry of Commerce and Industry, Government of India	Member
(e)	Chairman, Spices Board of India	Member
(f)	Director, MIDH, Government of Jammu and Kashmir	Member
(g)	Representative, National Horticulture Board	Member
(h)	Representative, Indian Council of Agriculture and Research	Member
(i)	Representative, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology, Jammu	Member
(j)	Joint Director General, Foreign Trade	Member
(k)	Three Progressive Saffron farmers (to be nominated by the Central Government in consultation with the Government of Jammu and Kashmir)	Member
(l)	Two Saffron Exporters	Member
(m)	Two Saffron Traders (to be nominated by the Central Government in consultation with the Government of Jammu and Kashmir)	Member

(2) All meetings of the Saffron Production and Export Development Agency shall be chaired by the Chairperson and in his absence; the meetings shall be chaired by the Chief Secretary to the Government of Jammu and Kashmir or the next senior-most member of the said Agency.

2. Secretariat.- (1) The Saffron Production and Export Development Agency shall be headed by a Secretary who will be appointed by the Spices Board, on deputation failing which by direct recruitment and shall appoint such staff as may be determined by the Spices Board.

(2) The headquarters of the Agency referred to in sub-paragraph (1) shall be at Srinagar in the State of Jammu and Kashmir.

3. Functions.- (1) The Saffron Production and Export Development Agency shall exercise the following functions, namely:—

(a) promote programmes to increase consumption of saffron;

(b) coordinate programmes, activities and projects relating to production, development, promotion, marketing and export of saffron;

(c) provide assistance for improved method of cultivation, replanting and expansion of growing area under saffron and its processing and packaging;

(d) undertake programmes and projects for promotion of export of saffron;

(e) assist and encourage creation of appropriate infrastructure for processing, packaging and warehousing;

(f) assist and encourage studies and research for improvement of processing, quality, techniques of grading and packaging of saffron;

(g) establish quality evaluation laboratory for saffron;

(h) undertake activities connected with evaluation and control of quality of saffron for export;

(i) evolve suitable quality standards and introduce certification of quality for saffron export;

(j) identify new markets for promotion of export of saffron;

(k) dissemination of information on market and price of saffron among all the stakeholders of saffron industry;

(l) promote co-operative efforts among growers of saffron;

(m) provide training on scientific cultivation of saffron, testing of quality, fixing grades for saffron;

(n) collect statistics from growers, dealers and such other agencies as may be prescribed on any matters related to the saffron industry;

(o) advise the Central Government, the Government of Jammu and Kashmir and the Spices Board on matters related to production, marketing, quality and export of saffron;

(p) undertake such other activities as may be necessary in order to further the programmes for development and promotion of exports of quality saffron, and the functions mentioned above.

(2) The Agency referred to in sub-paragraph (1) shall have one meeting in each quarter and not less than two meetings in a financial year.

4. Powers.- (l) The Saffron Production and Export Development Agency, in discharge of its functions, shall have the power to—

(a) prescribe duties for its officials, and exercise supervision and disciplinary control over them, as may be necessary;

(b) sanction the expenditure for undertaking programmes, activities and services and other administrative expenses required for its effective working as per the financial and administrative powers delegated by the Spices Board;

(c) take decisions in respect of the matters or programmes as per the functions assigned to it;

(2) In matters where the decision cannot wait for specific approval of the Saffron Production and Export Development Agency, the Secretary may take decision to perform any of its functions effectively in consultation with the Chairman of the Spices Board and the action taken shall be put up for ex-post facto approval in the next meeting of the said Agency for its approval.

5. Finance.- (l) The Saffron Production and Export Development Agency shall, for implementation of its programmes, prepare an annual plan and budget of its activities and have it approved by the Spices Board.

(2) The Central Government may provide, through the Spices Board, grant of such sums of amount as may be considered necessary.

6. Control and supervision.- For all practical purposes, the Saffron Production and Export Development Agency shall act as a subordinate agency of the Ministry of Commerce and Industry in the Central Government and function under the overall authority, supervision and control of the Spices Board.

A. JAYATHILAK
CHAIRMAN
SPICES BOARD

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015
www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.4]—121 + 25 + 50 = 196 Copies

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2015/ज्येष्ठ 18, 1937
No. 216]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2015/JYAISTHA 18, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(मसाला बोर्ड)
आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

सं. प्रशा-**1/**स्था/एसपीईडीए/**2014**.—मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड नियम 1987 के नियम 11 और नियम 13 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, भारत के राजपत्र, साप्ताहिक, भाग-III, खंड-4, तारीख 18 अप्रैल, 2015 में प्रकाशित तारीख 17 मार्च, 2015 की मसाला बोर्ड की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है।

2. उक्त अधिसूचना में पैरा 1, के उप-पैरा (1), के खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क)	सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	सह-अध्यक्ष
(ख)	मुख्य सचिव, जम्मू-कश्मीर सरकार	सह-अध्यक्ष"

3. उक्त अधिसूचना में पैरा 1, के उपपैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण की सभी बैठकों की सह-अध्यक्षता दोनों अध्यक्ष करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में, बैठक की अध्यक्षता उक्त अभिकरण के अगले वरिष्ठतम सदस्य द्वारा की जाएगी।"

डॉ. ए. जयतिलक, अध्यक्ष, मसाला बोर्ड

[विज्ञापन-III/4/असा./92-I/15(109)]

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, साप्ताहिक, तारीख 18 अप्रैल, 2015 में अधिसूचना सं. प्रशा.-1/स्था/एसपीडा/2014 तारीख 17 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(SPICES BOARD)

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2015

No. Admin-1/Estt/SPEDA/2014.- In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 11 and 13 of the Spices Board Rules, 1987, the Spices Board hereby makes the following amendment in the notification of the Spices Board, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, dated the 17th March, 2015, published in the Gazette of India, Weekly, part III, Section 4 dated the 18th April, 2015.

2. In the said notification, in paragraph 1, in sub-paragraph (1), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(a) Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry	Co-Chairperson
(b) Chief Secretary, Government of Jammu and Kashmir	Co-Chairperson";

3. In the said notification, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(2) All meetings of the Saffron Production and Export Development Agency shall be co-chaired by both the Chairperson and in their absence, the meetings shall be chaired by the next senior-most member of the said Agency".

Dr. A. JAYATHILAK, Chairman, Spices Board

[ADVT.-III/4/Exty./92-I/15(109)]

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, weekly, dated 18th April 2015 vide notification number Admin-1/Estt/SPEDA/2014 dated 17th March, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] नई दिल्ली, सोमवार, मई 7, 2018/वैशाख 17, 1940
No. 175] NEW DELHI, MONDAY, MAY 7, 2018/VAISAKHA 17, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(मसाला बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. प्रशा-1/स्था./एस पी ई डी ए/2018.—मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 11 और 13 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में, तारीख: 18 अप्रैल, 2015 को प्रकाशित मसाला बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तारीख 17 मार्च 2015 की अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करता है :

1. उक्त अधिसूचना में, :- (i) पैरा 1 में, "गठन" शीर्ष के अधीन उप पैरा (1) में, खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ड.) सचिव, मसाला बोर्ड सदस्य ";

(ii) पैरा 2 में "सचिवालय" शीर्ष के अधीन -, उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) केसर उत्पादन और निर्यात विकास अभिकरण की अध्यक्षता एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसकी नियुक्ति

मसाला बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्ति पर, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी और ऐसे कर्मचारिवृंद की नियुक्ति की जाएगी जो मसाला बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए ।"

डॉ. ए. जयतिलक, सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा०/50/18]

टिप्पण: मूल अधिसूचना, अधिसूचना संख्या प्रशा -1/स्था./एस पी ई डी ए/2014, तारीख: 17 मार्च, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, तारीख 18 अप्रैल 2015 को प्रकाशित थी और आदेश संख्या प्रशा.-1/स्था./एस पी ई डी ए/2014, तारीख: 5 जून 2015 द्वारा अंतिम संशोधन करके भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, तारीख: 8 जून 2015 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(SPICES BOARD)

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2018

No. Admin-1/Estt/SPEDA/2018.—In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Spices Board Act,1986(10 of 1986) read with rules 11 and 13 of the Spices Board Rules, 1987, the Spices Board hereby makes the following amendment in the notification of the Spices Board, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, dated the 17th March,2015 published in the Gazette of India, Part III, Section 4 dated the 18th April, 2015.

1. In the said notification,:- (i) in paragraph 1, under the heading "Constitution" in sub-paragraph (1), for clause (e) the following clause shall be substituted, namely:-

"(e) Secretary, Spices Board Member";

(ii) In paragraph 2 under the heading "Secretariat,-", for sub-paragraph (1), the following sub –paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) The Saffron Production and Export Development Agency shall be headed by an Administrative officer who will be appointed by the Spices Board, on deputation failing which by direct recruitment and shall appoint such staff as may be determined by the Spices Board.".

Dr. A. JAYATHILAK, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./50/18]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, dated 18th April 2015 vide notification number Admin-1/Estt/SPEDA/2014 dated 17th March, 2015 and last amended vide Order number Admin-1/Estt/SPEDA/2014 dated 5th June 2015 was published in Gazette of India, part III Section 4 dated 8th June 2015.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.08 18:06:15 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.